न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— गोपाल लाल मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 44 / 2015

तारीख दायरा—18.06.2015
तारीख निर्णय—15.07.2016

1. श्री फजलु रहमा पिता यासीन मोहम्मद अंसारी मुसलमान निवासी सायरा।
2. श्री मोहम्मद यूसुफ पिता मोहम्मद इलियास अंसारी मुसलमान निवासी सायरा।

.....वादी

बनाम

1. श्री जालमसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी सायरा तहसील गोगुन्दा।
2. श्रीमती रोडीबाई पत्नी अमरसिंह राजपूत निवासी सायरा तहसील गोगुन्दा।
3. श्री सोहनसिंह पिता कानसिंह राजपूत निवासी सायरा तहसील गोगुन्दा।
4. श्री पदमसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपूत निवासी सायरा तहसील गोगुन्दा।
5. श्री रामसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपूत निवासी सायरा तहसील गोगुन्दा।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— वादी स्वयं
प्रतिवादी की ओर से— प्रतिवादी स्वयं

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सायरा पटवार क्षेत्र सायरा तहसील गोगुन्दा में आराजी नम्बर 4158 / 2 रकबा 0.4250 है0 भूमि स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक से पांच के संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मौके पर अपनी सुविधानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु भूमि का मौके पर विविवत विभाजन नही होने से आये दिन पाली डोली को लेकर विवाद उत्पन्न होता रहता है। भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादीगण अपनी भूमि के विकास हेतु ऋण भी नही ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का खातेदारान के मध्य हिस्से अनुसार विभाजन कराया जाकर भूमि अलग—अलग खाते दर्ज कराई जावें वादी के हिस्से में आई भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करें इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण को भूमि के बंटवाडे में कोई आपत्ति नही होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्ड़ल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड़ बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग–लगभग बराबर–बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नही है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सायरा पटवार की आराजी नम्बर 4158 मी. रकबा 0.1400 है0 भूमि का जालमसिंह पिता अमरसिंह, रोडीबाई पत्नी अमरसिंह 1/4, सोहनसिंह पिता कानसिंह खरवड 1/4 रसियाबाई पत्नी सोहनसिंह खरवड राजपूत 1/2 को, आराजी नम्बर 4158/1 रकबा 0.0050 है0 भूमि का पदमसिंह, रामसिंह पिता मोहब्बतसिंह चदाणा राजपूत को एवं आराजी नम्बर 4158/2 रकबा 0.1000, 4158/3 रकबा 0.1800 किता 02 कुल रकबा 0.2800 है0 भूमि का फजलु रहमान पिता यासीन मोहम्मद अंसारी, मोहम्मद युसुफ पिता मोहम्मद हनीफ अंसारी मुसलमान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतद्नसुार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा–उदयपुर